

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 46/2024

GCMS No. : 2024/266

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
जरिये सरकार भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		देवानन्द पुत्र नरसिंहदास जाति सिन्धी निवासी भाट मोहल्ला मारवाड जंक्शन मैसर्स दीपक स्वीटस मुख्य बाजार मारवाड जंक्शन जिला पाली

“प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51”

उपस्थित :-

- खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
- अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :-

दिनांक : 29.8.2024

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी वक्त बहस उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 26.07.2023 को दौराने गश्त अप्रार्थी की दुकान मैसर्स दीपक स्वीटस मुख्य बाजार मारवाड जंक्शन जिला पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम देवानन्द बताया एवं स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। दुकान के निरीक्षण के दौरान दुकान में लगभग 05 किलो गुलाब जामुन घी से निर्मित रखे पाये गये जिसे अप्रार्थी ने आमजन को विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने गुलाब जामुन घी से निर्मित का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की जिसके लिए मेने दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाह नही होने कि स्थिति में मेरे साथ आये आन्नद कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को बता दिया की गुलाब जामुन घी से निर्मित का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जांच हेतु ले रहा हूं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 02 किलोग्राम गुलाब जामुन घी से निर्मित वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 600/- रुपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा गुलाब जामुन घी से निर्मित को साफ सुखे चार सुटेबल कंटेनर में नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर-1967 लिखा एवं नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमूनों को नियमानुसार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली


सिलबंद कर अपने जाबते में लिया एवं मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म-6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की दुकान से लिया गया गुलाब जामुन घी से निर्मित का नमुना संख्या आर-1967 के संबंध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/2064/एक्ट/2023/2105 दिनांक 08.08.2023 के अनुसार unsafe पाया गया, जिस पर अप्रार्थी ने घी के नमुने की द्वितीय जांच हेतु रेफरेल लैब मैसुर भेजने के लिए आवेदन किया। मैसुर रेफरेल लेब कि जांच रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया गुलाब जामुन घी से निर्मित का नमुना क्रमांक आर-1967 Sub standards पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub standards गुलाब जामुन घी से निर्मित का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने वक्त बहस निवेदन किया है कि गुलाब जामुन बनाते समय पूर्णतया सावधानी बरती जाती है तथा किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। दुध विक्रेता से दुध लेकर दुकान में ही गुलाब जामुन का निर्माण किया जाता है उसमें ऐसे किसी उत्पाद की मिलावट नहीं की जाती जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। लेब की रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमुना गुलाब जामुन में केवल मात्र फेट की मात्रा कम पाया जाना साबित हुआ है जिसके सन्दर्भ में भविष्य में सावधानी बतरी जायेगी। अतः अप्रार्थी पर कम से कम शास्ति आरोपित कर प्रकरण निस्तारित करावें।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस एवं तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.07.2023 को अप्रार्थी की दुकान से गुलाब जामुन घी से निर्मित वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-1967 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये गुलाब जामुन घी से निर्मित का नमुना कोड संख्या आर-1967 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया गुलाब जामुन घी से निर्मित का नमुना unsafe पाया गया, अप्रार्थी के निवेदन पर उक्त गुलाब जामुन घी से निर्मित का नमुना जांच हेतु रेफरेल लैब भिजवाने पर वहा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नमुना गुलाब जामुन घी से निर्मित अवमानक (Sub-standards) पाया गया जिसका अप्रार्थी द्वारा उत्पादन एवं विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लंघन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Substandard (अवमानक) गुलाब जामुन घी से




बतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

3 : विविध प्रकरण संख्या 46/2024 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम देवानन्द

निर्मित का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 10000/- अक्षरे दस हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।



निर्णय आज दिनांक 29/8/2024
हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Luks
(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद

Luks
(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली